न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर आनन्दसिंहपुरा

अनुवान :–फुलाराम बनाम शिशराम आदि

प्रार्थना पत्र संख्या :– 108 / 2025

निर्णय दिनांक :–........01/07/2025...

फुलाराम पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी आनन्दसिंहपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

1. शिशराम पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी आनन्दसिंहपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, भू राजस्व अधिनियम हर प्रकार के साक्ष्य के आधार पर।

—: निर्णय :—

प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 111, 128, एल.आर. एक्ट प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि कृषिभूमि खसरा नं. 103/2 तादादी 0.8219 हेक्टेयर, खसरा नं. 334/108 तादादी 5.6903 हेक्टेयर, खसरा नं. 336/105 तादादी 0.2529 हेक्टेयर, खसरा नं. 338/102 तादादी 0.4679 हेक्टेयर, खसरा नं. 45 तादादी 0. 1391 हेक्टेयर, खसरा नं. 46 तादादी 1. 8968 हेक्टेयर कुल तादादी 9.2689 हेक्टेयर वाके रोही ग्राम ढाणी आशा तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है। राजस्व रिकार्ड जमांवदी व नक्शा सलंग्न प्रार्थना पत्र की जाकर वादाधार वाद वनाया जा रहा है। उक्त कृषिभूमि ही विवादित है। अप्रार्थी सं. 1 शिशराम की कृ षिभूमि खसरा नं. 366/339 प्रार्थी की कृषिभूमि के दक्षिण तरफ चिपती हुई है तथा अप्रार्थी शिशराम के खेत खसरा नं. 358/332 कृषिभूमि प्रार्थी के खेत के पूर्वी तरफ चिपती हुई है। जिसकी जमावंदी संलग्न की जा रही है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 के दरमियान कृषिभूमि के सीमाज्ञान को लेकर आये दिन झगड़ा फसाद होने की सम्भावना रहती है। जिससे प्रार्थी अपनी कृषिभूमि को सही एवं सूचारू रूप से काश्त नहीं कर पाता है। विवादित कृषिभूमि की सींव व फसल काश्त को लेकर प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 का झगड़ा फसाद रहता है व आये दिन अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी की कृषिभूमि की सीवों को जवरदस्ती तोड़कर उसमें खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाने पर आमादा रहते है। जिस वजह से प्रार्थी के लिये अपनी कृषिभूमि की पैमाईश करवाकर पत्थरगढी करवाना अनिवार्य हो गया है। प्रार्थी द्वारा अपनी विवादित कृषिभूमि की पैमाईश करवाने हेतु अप्रार्थी सं. 2 के समक्ष अनेकों वार आवेदन किये है लेकिन सही तरीके से पैमाईश नहीं की गई तथा राजस्व कर्मियो द्वारा खाली कागजों पर हस्ताक्षर लेकर अपनी मनमर्जी से रिपोर्ट तैयार कर ली जाती है व ना ही प्रार्थी को उसकी कृषिभूमि की निशानदेही दी जा रही है। प्रार्थी काश्तकार पेशा व्यक्ति है व उनकी आजीविका का मुख्य साधन कृषि उपज ही है जिससे उसके परिवार का गुजारा हो पाता है व प्रार्थी की कृषिभूमि की सही निशानदेही देकर पत्थरगढी नहीं करवाये जाने से हर समय झगड़ा फसाद व खून खरावा होने की स्थिति पैदा हो जाती है जिसके लिये भी प्रार्थी के लिये अपनी खातेदारी काश्तकारी की कृ षिभूमि की पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक हो गया है। अप्रार्थी सं. 1 खेत पड़ौसी है इस

कारण इनके खिलाफ यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है एवं कृषिभूमि की पैमाईश एवं पत्थरगढी अप्रार्थी सं. 3 के द्वारा कराई जावेगी। इस कारण अप्रार्थीगण के खिलाफ यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस कारण प्रार्थी ने न्यायालय में अपने खेत की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के रजि. नोटिस की रसीद मय टी.आर. दिनांक 19.06.2025 को पेश की गई। पत्रावली पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर ग्राम पंचायत आनन्दसिंहपुरा में पत्रावली पेशी में ली गई। अप्रार्थी संख्या 1 के अनुपस्थित रहने के कारण उक्त अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 04.07.2025 को अमल में लाई गयी। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से राजपैरोकार ने राज्यहित प्रभावित नही होना जाहिर किया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को ही दौहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार करने एवं विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया। प्रार्थी के निवेदन पर गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी कृषिभूमि खसरा नं. 103/2 तादादी 0.8219 हेक्टेयर, खसरा नं. 334/108 तादादी 5.6903 हेक्टेयर, खसरा नं. 336/105 तादादी 0.2529 हेक्टेयर, खसरा नं. 338/102 तादादी 0.4679 हेक्टेयर, खसरा नं. 45 तादादी 0. 1391 हेक्टेयर, खसरा नं. 46 तादादी 1.8968 हेक्टेयर कुल तादादी 9.2689 हेक्टेयर वाके रोही ग्राम ढाणी आशा तहसील तारानगर जिला चूरू के रिकॉर्ड खातेदार है। भूमि प्रार्थी की खातेदारी में है। प्रार्थी अपने खेत व काश्त की सुरक्षा के लिए चारो ओर निशानदेही देकर पत्थर गढ़ी करवाना चाहता है। प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढ़ी से किसी भी पक्ष को कोई नुकसान होना प्रतीत नहीं होता। वर्णित विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार तारानगर को आदेश दिया जाता है कि वह पड़ौसी खातेदारों को सूचित करते हुए राजस्व नक्शा के मुताबिक कृषिभूमि खसरा नं. 103/2 तादादी 0.8219 हेक्टेयर, खसरा नं. 334/108 तादादी 5.6903 हेक्टेयर, खसरा नं. 336/105 तादादी 0.2529 हेक्टेयर, खसरा नं. 338/102 तादादी 0.4679 हेक्टेयर, खसरा नं. 45 तादादी 0. 1391 हेक्टेयर, खसरा नं. 46 तादादी 1.8968 हेक्टेयर कुल तादादी 9.2689 हेक्टेयर वाके रोही ग्राम ढाणी आशा तहसील तहसील तारानगर जिला चूरू पत्थरगढ़ी स्वयं अथवा नायब तहसीलदार के निर्देशन में राजस्व कार्मिक टीम से कायम करावें। पत्थरगढ़ी कार्यवाही का समस्त खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। ध्यान रहे पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी काश्तकार को बेदखल नही किया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 04/07/2025 को कोर्ट कैम्प आनन्दसिंहपुरा में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)